

(राजस्थान-सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बारां

पीठासीन अधिकारी सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 260 / 2016

बउनवान

श्री बद्रीलाल आयु 50 वर्ष पुत्र श्यामलाल मीणा निवासी निपानी तहसील छबडा जिला बारां
(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार, छबडा जिला बारां

(रिस्पोंडेन्ट)

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :- 1- श्री संजय नागर अभिभाषक

(अपीलांट)

2- पेरोंकार सरकार

(रिस्पोंडेन्ट)

निर्णय दिनांक 31.07.2019

अपीलांट ने यह अपील जयें अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छबडा के प्रकरण संख्या 1015 / 2015 के अन्तर्गत धारा 91 भू राजस्व अधिनियम में पारित निर्णय दिनांक 17.11.2015 के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत की गयी है। अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट को वाके ग्राम निपानी की सरकारी भूमि किस्म चारागाह पर सम्वत् 2071 में खसरा नम्बर 317 व 318 की रकबा 3 बीघा भूमि पर फसल सोयाबीन की बोई जाकर अतिक्रमण करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 90 दिन की सिविल कारावास की सजा एवं 150/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है। जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील प्रस्तुत की गई।

इस पर अपील को दिनांक 27.05.2016 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, रिस्पोंडेन्ट को जयें नोटिस तलब कर, अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब की गई। प्रकरण वर्ष 2016 में दर्ज रजिस्टर होने के उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय, छबडा से मूल पत्रावली 08 बार तलब किये जाने के बाद भी प्राप्त नहीं होने पर पत्रावली में अपीलांट के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय, छबडा द्वारा पारित निर्णय की सत्य प्रतिलिपी को ही आधार मानकर प्रकरण में अंतिम बहस उभयपक्ष की सुनी गई।

अपीलांट के अभिभाषक ने दौराने बहस व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय छबडा द्वारा पारित निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यों के प्रतिकूल होने से काबिले खारजा है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुनवायी एवं जवाब देही का अवसर दिये बिना, प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किये बिना स्वतंत्र साक्ष्य लिये पटवारी हल्का की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट की अनुपस्थिति में एकतरफा निर्णय पारित करने में भारी भूल की है। पटवारी हल्का के बयान लिए बिना अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर दंडित फरमाने में कानूनी भूल की है। अलीलांट का अतिक्रमित आराजी पर मौके पर कोई कब्जा नहीं है एवं न ही उस पर काश्त है। अपीलांट द्वारा तावान की राशि भी जमा करवा दी है। हल्का पटवारी द्वारा उक्त भूमि की कभी कोई पैमाइस नहीं

की है। अपीलान्ट को भौतिक रूप से कभी भी बेदखल नहीं किया है। ऐसी कोई पैमाईश रिपोर्ट अथवा बेदखली नामा भी पत्रावली पर मौजूद नहीं है। अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय, छबडा द्वारा पारित निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी पुलिस तलाशने गांव मे आयी तब हुयी, इसके बाद आवेदन पेश कर दिनांक 28.04.2016 को नकल निर्णय प्राप्त किया। अस्तु जानकारी से अपील अन्दर मियाद पेश कर निवेदन किया कि अपील स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत परोकार सरकार द्वारा कथन किया गया कि अपीलान्ट द्वारा सरकारी भूमि किस्म चारागाह पर फसल सोयाबीन की बोई जाकर पर अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का नोटिस जारी किया जाकर तामील करवाई गई है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहा है। अपीलान्ट द्वारा गतवर्ष मे भी इसी आराजी पर अतिक्रमण किया गया था, जिसको अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 496/2014 में पारित निर्णय की पालना मे पटवारी हल्का द्वारा भौतिक रूप से बेदखल किया जाकर, पुनः अतिक्रमण नही किये जाने हेतु पाबन्द किया गया था। अपीलान्ट द्वारा पुनः सम्वत् 2071 में किया गया, अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में बेदखली एवं शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाकर, अपीलान्ट की सजा माफ की जा सकती है।

हमने उभयपक्षो के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का नोटिस जारी किया गया। अपीलान्ट को नोटिस की तामील करवाई गयी थी। अपीलान्ट वक्त निर्णय अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा में अनुपस्थित रहा है। अधीनस्थ न्यायालय से 8 बार तलब किये जाने के उपरांत भी मूल पत्रावली प्राप्त नही होना या नही भिजवाया जाना त्रुटि होना पाया जाता है।

अतः परिणाम स्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा द्वारा प्रकरण संख्या 1015/2015 में पारित आदेश दिनांक 17.11.2015 में बेदखली एवं शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अपीलान्ट को उक्त आदेश से दी गई सिविल कारावास की सजा को इस शर्त पर माफ किया जाता है कि तहसीलदार छबडा माह अगस्त, 2019 मे आई.एल.आर. स्तर के अधिकारी से जॉच करावे कि अपीलान्ट का अतिक्रमित आराजी वाके ग्राम निपानी तहसील छबडा के खसरा नम्बर 317 व 318 की रकबा 3 बीघा भूमि किस्म चारागाह पर कब्जा नही पाया जावे, तो तहसीलदार, छबडा द्वारा प्रकरण संख्या 1015/2015 मे अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत पारित आदेश दिनांक 17.11.2015 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ रहेगी अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छबडा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.11.2015 यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 31.07.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति० जिला कलक्टर, बारां

